

ईसीजीसी/दे.बी.वि./323/2022-23

ECGC/CUD/323/2022-23

30.11.2022

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(आर आर बी व एल ए बी को छोड़कर)
All Scheduled Commercial Banks.
(Excluding RRBs and LABs)

महोदय/ महोदया,
Dear Sir/Madam,

**विषय: "बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली - देश जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी सिद्धांत" पर
भा.रि.बै. का परिपत्र सं. डी बी ओ डी. बी पी. बी सी./71/21.04.103/2002-03 दिनांक
19.2.2003**

**Sub: RBI Circular No. DBOD.BP.BC.71 / 21.04.103/2002-03, dated 19.2.2003 on
"Risk Management Systems in Banks - Guidelines on Country Risk Management"**

उपर्युक्त विषय पर कृपया भा.रि.बै. के परिपत्र सं. डी बी ओ डी. बी पी. बी सी./71/21.04.103/2002-03 दिनांक 19.2.2003 का अवलोकन करें।

01 दिसंबर 2022 से प्रभावी देश जोखिम वर्गीकरण सूची आपकी जानकारी हेतु संलग्न है। आप यह सूची
हमारे वेबसाइट www.ecgc.in के निम्नलिखित लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं:
<https://www.ecgc.in/circulars/>.

Please refer to the RBI circular no. DBOD.BP.BC.71 / 21.04.103/2002-03, dated 19.2.2003 on the above subject.

The Country Risk Classification list with effect from 01st December 2022 is enclosed for your kind information. The list is also available on our website www.ecgc.in through the following link: <https://www.ecgc.in/circulars/>.

धन्यवाद/ Thanking You,

भवदीय / Yours faithfully,



(विवेक तिवारी/ Vivek Tiwari)

सहायक महाप्रबंधक / Assistant General Manager